न्यायालयः— श्रीमान राजस्वमण्डल ग्वालियर (केम्प भोपाल) (140)

प्र.क्र. / 2017 I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2017/6186

(1) खुशाल सिंह पुत्र तखत सिंह लोधी
निवासी ग्राम ग्यारसपुर जिला विदिशा

(2) ~~बाबूलाल पुत्र स्व. श्री चिरोंजीलाल लोधी निवासी ग्राम चक्क सीहोद तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा (म.प्र.)~~

.......निगरानिक

बनाम

खिलान सिंह लोधी पुत्र श्री चिरोंजीलाल लोधी निवासी ग्राम चक्क सीहोद तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा (म.प्र.)

......निगरानी गृहिता

निगरानी अधिनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. ग्यारसपुर प्रकरण क्रमांक 62 अपील 2015–2016 आदेश दिनांक 08/12/2017

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की निगरानी निम्न प्रकार है।

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सीहोद भूमि खसरा नम्वर 635/7 रकवा 2.905 है व 645/2 रकवा 0.157 है व 649/2 रकवा 0.240 है आ. नं. 713 रकवा 0.094 है. कुल रकवा नम्वर 4 कुल रकवा 3.396 का खाता राधा बाई के नाम था तथा राधा बाई अपीलांत की दादी अर्थात तखत सिंह की माँ थी उन्होने अपने जीवनकाल में एक वसियत अपीलांत खुशाल सिंह के नाम तहरीर कर दी थी तथा उनके देहान्त के पश्चात वर्ष ~~19686~~ 1986 में अपीलांत का नामांतरण बादग्रस्त भूमि पर विधि विधान के अन्तर्गत हो गया है इस पश्चात निगरानी गृहिता ने वर्ष 2017 में बाद ग्रस्त भूमि के पूर्व भाग में कब्जा करने का प्रयास किया तथा निगरानीकर्ता ने पुलिस में रिपोर्ट में रिपोर्ट की परन्तु कोई कार्यावाही नहीं हुई तथा निगरानी ने इसके पश्चात निगरानी गृहिता के खिलाफ सिविल प्रकरण स्थाई निषेधाज्ञा कर बाद प्रस्तुत किया तथा स्टे आदेश भी पारित किया तथा सिविल न्यायालय में प्रकरण

...प श्रीवास्तव
(एडवोकेट)
तलैया विदिशा

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/विदिशा/भूरा/2017/6186

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-2-19	उभयपक्ष अनुपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	